"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-25/2005/वा.कर (आब.)/पांच (39).—छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए एफ.एल. 9क अनुज्ञप्तिधारियों हेतु निम्नानुसार बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस विनिर्दिष्ट करता है :—

अ. क्र.	विशेषाधिकार (franchisee) व्यवस्था के अधीन भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल भराई (बॉटलिंग) का विवरण	देय बोतल भराई (बॉटलिंग फीस)
(1)	(2)	(3)
विदेशी मदिरा (स्पिरिट) हेतु :—		
(क)	छत्तीसगढ़ में ही विक्रित होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु—	
	(एक) प्रति मिनीएचर बोतल	रुपये 0.80 प्रति नग

(1)	(2)		(3)
(ख)	प्रदेश के बाहर निर्यात होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु—		
	(एक)	प्रति मिनीएचर बोतल	रुपये 0.10 प्रति नग

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2005

क्रमांक एफ 10-25/2005/वा.कर (आब.)/पांच (39).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-25/2005/वा.कर (आब.)/पांच (39), दिनांक 25 अगस्त 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 25th August 2005

NOTIFICATION

No. F 10-25/2005/C.T. (Ex.)/ V/(39).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of Rule 18 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government hereby prescribes as specified below the bottling fee for bottling of Idian made Foreign Liquor by the F.L. 9A licensees :—

S. No. (1)	Description of Indian made foreign liquor to be bottled under franchise arrangement (2)		Payable bottling fee (3)
For Foreign Liquor (Spirit) :—			
(A)	For each brand and label to be sold within Chhattisgarh only—		
	(i)	Per miniature bottle	Rs. 0.80 per piece
(B)	For each brand and label to be exported outside the State—		
	(i)	Per miniature bottle	Rs. 0.10 per piece

2. This notification shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 सितम्बर 2005—भाद्र 10, शक-1927

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक 7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है,

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 29 की अनुसूची तीन में उल्लेखित निम्नलिखित दरें स्थापित की जाय.

2. ये संशोधित दरें तारीख 1-9-2005 से लागू होगी.

अनुसूची-तीन

(देखिए नियम 29)

रायल्टी की दरें

अनुक्रमांक (1)	खनिज (2)	दरें (3)
1.	आकारीय पत्थर-ग्रेनाइट, डोलेराइट और आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है :—	
	(क) काला रंग	रु. 750 प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य रंग	रु. 400 प्रति घनमीटर
2.	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.	रु. 200 प्रति घनमीटर
3.	अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर	रु. 75 प्रति घनमीटर
4.	फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिये किया जाता है.	रु. 75 प्रति घनमीटर
6.	मुरूम	रु. 15 प्रति घनमीटर
7.	पत्थर—	
	(क) बोल्डर	रु. 30 [illegible] घनमीटर
	(ख) गिट्टी, रोड मेटल	रु. 40 प्रति घनमीटर
	(ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	रु. 40 प्रति घनमीटर
8.	मिट्टी-ईट एवं टाइल्स निर्माण हेतु	रु. 15 प्रति घनमीटर
9.	अन्य गौण खनिज	रु. 30 प्रति घनमीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

क्रमांक 7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-7/2004/12, दिनांक 27-8-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, उप-सचिव.

Raipur, the 27th August 2005

NOTIFICATION

No. 7-7/2004/12.—In exercise of the powers conferred by section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996 namely,

AMENDMENT

In the said Rules,

1. In schedule III, of Rule 29 the following rates of royalties shall be substituted.

2. It shall come in to force from the date of 1-9-2005..

SCHEDULE-III
(See rule 29)

RATES OF ROYALTY

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, siabs, tiles of specific dimension :—	
	(a) Black colour	Rs. 750/- per cu.mt.
	(b) Other colour	Rs. 400/- per cu. mt.
2.	Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	Rs. 200/- per cu. mt.
3.	Marble stone for other purpose	Rs. 75/- per cu. mt.
4.	Flagstone Natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Rs. 75/- per cu. mt.
6.	Murrum	Rs. 15/- per cu. mt.
7.	Stone :—	
	(a) Boulder	Rs. 30/- per cu. mt.
	(b) Gitti, roadmetal	Rs. 40/- per cu. mt.
	(c) Dressed stone, Khanda, Dhoka	Rs. 40/- per cu. mt. (except lime stone)
8.	Soil-For making bricks and tiles	Rs. 15/- per cu. mt.
9.	Other minor minerals	Rs. 30/- per cu. mt.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.